फर्द अहकाम
(नियम 26)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गीमाराम पुत्र श्री वनाराम जाति कुम्हार नि. नवारा तहसील व जिला सिरोही		1.स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा0पत्र अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट   रा.प्रा.पत्र सं. 38/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03–12–2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर श्री रमेश कुमार माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1236 दिनांक 29–11–2024 से प्रस्तुत जवाब अनुसार भूमि में नाम व हिस्से प्रार्थी को उत्तराधिकारी ना.करण पिता व बाद में माताजी के स्थान पर उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। प्रार्थी की भूमि पुस्तैनी है स्वयं का नाम गीमाराम पुत्र वनाराम आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी में से ही नाम दर्ज है। प्रार्थी के अलग–अलग नाम व हिस्से दो ना.करण पिता व बाद में माता के ना.करण से आये है। अतः हिस्सा एकीकरण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई । हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली/दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा नवारा पटवार हल्का नवारा के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 60,61,62 व 63 में प्रार्थी का गलत नाम गीमाराम पुत्र वनाराम व गीमाराम पुत्र वगताराम के स्थान पर सही नाम गीमाराम पुत्र वनाराम व प्रार्थी के अलग–अलग हिस्सें 13/90 एवं 1/45 का एकीकरण कर संपूर्ण हिस्सा 1/6 कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज.)